# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00149 RAAJodhpur2018-89RTA223 Bhomaram Vs Surendra etc

भोमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट, निवासी- रड़ोद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट**

**ब**

**न**

**म**

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट, निवासी- रड़ोद, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर, जरिय माता श्रीमती कबूड़ी पत्नी श्री भोमाराम, जाति जाट, निवासी- रड़ोद, हाल निवास- रामपुरा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- **रेस्पोडेण्ड्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 213/2010 सुरेन्द्र बनाम भोमाराम जाट**

--- 0 ---

**उपस्थित -**

श्री बी.एस. भवरिया, अधिवक्ता अपीलांट

डॉ. जावेद खान मोयल, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

## नि र्ण य

दिनांक : 29/X/2021

अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 213/2010 सुरेन्द्र बनाम भोमाराम जाट के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 जुलाई 2018 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम रड़ोद में खसरा नं. 1144 रकबा 10.15 बीघा, खसरा नं. 929 रकबा 10.19 बीघा, खसरा नं. 1288/1 रकबा 05.07 बीघा खसरा नं. 1054/4 रकबा 03.18 बीघा कुल रकबा 30.09 बीघा भूमि पर प्रतिवादी भोमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाट निवासी- रड़ोद की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में सें वादी सुरेन्द्र पुत्र भोमाराम निवासी- रड़ोद जरिये वली माता श्रीमती कबूड़ी पत्नी श्री भोमाराम ने प्रतिवादी संख्या एक के साथ 1/2-1/2 हिस्सा पुश्तैनी भूमि में खातेदारी अधिकार घोषित करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। साक्षी वादी ने पीडब्ल्यू-1 सुरेन्द्र जरिये माता कबूड़ी के ब्यान लेखबद्ध किये गये, तत्पश्चात साक्ष्य वादी बंद कर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान पत्रावली लोक अदालत केम्प रड़ोद में प्रस्तुत हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहां पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 जारी कर वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु विचाराधीन थी, जिसे राजीनामा हेतु राजस्व लोक अदालत केम्प रड़ोद हेतु दिनांक 04.05.2018 को रखा गया था, जहॉ पर दोनो पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं होने की स्थिति में पत्रावली पुनः न्यायालय में प्रेषित की जाकर नियमित सुनवाई हेतु नियत की जानी थी, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य प्रतिवादी स्तर की पत्रावली को बिना कोई साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये, बिना कोई बहस सुने, दिनांक 04.05.20185 को निर्णय पारित कर डिक्री पर्चा जारी कर दिया गया एवं न ही प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के प्रकरण दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर निस्तारित किये जाते है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं था, परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय ने मेरिट पर निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है, इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 अपास्त किये जाने योग्य है। विधि का सारभूत सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित होता है, तब तक उसके वारिसान् को उसके हक हिस्से की जमीन में कोई बंटवाड़ा नहीं हो सकता है, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के जीवित होने के बावजूद भी अपीलार्थी की भूमि में अप्रार्थी संख्या एक को खातेदार घोषित कर भारी भूल कारित की है। एडव्ल्यू-1 साक्षी श्रीमती कबूडी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि वह और उसका पुत्र वर्तमान में पीहर में करीब 8-9 साल से निवास कर रहे है, इस कारण साक्ष्य में यह भली भांति साबित है कि उक्त आराजी पर वादी का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं था, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 को अपास्त किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से वादी/रेस्पोडेंट का कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जन्म से 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं वादी की साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रतिवादी उपस्थित होने पर दिनांक 30.10.2015 को तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन थी।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 04 मई 2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट रड़ोद में रखकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। **वादी द्वारा अपने वाद में बंटवाड़े की इस्तदुआ चाही गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़े के अनुतोष के बावजूद भी प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई तथा प्रकरण में तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।** इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 213/2010 सुरेन्द्र बनाम भोमाराम जाट को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे प्रतिवादी/अपीलांट की साक्ष्य ली जाकर विहित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/IX/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर